

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोधनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30.8.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. <u>22/8/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Handwritten signature</i></p>
	22.8.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. <u>29/8/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Handwritten signature</i></p>
	29.8.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी को साथ न्यायालय में प्रथम-प्रथम समय पर तीन-तीन बार भावाजे लगवायी गयी। बावजूद आवाज लगवाने के उपरांत भी वादी के न्यायालय में धाकड़ नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत सार्जन-4 नियम-3 जा० दी० के तहत समय धाकड़ी व समय घेरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली क्रोसल शुमार हीकर नंबर ले नाम हीकर दाखिल यत्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Handwritten signature</i>  <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>जोधनेर</b></p>